



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102022-239275
CG-DL-E-01102022-239275

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4431]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2022/आश्विन 8, 1944

No. 4431]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2022/ASVINA 8, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2022

का.आ. 4639(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1281(अ) तारीख 15.03.2022 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 23.03.2022, में प्रकाशित की गयी थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा महाराष्ट्र राज्य में मुंबई — नागपूर — झारसुगुडा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के खंड नागपूर — जबलपुर पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

मुम्बई-नागपुर-झारसुगुडा प्राकृतिक गैस पाइप लाइन						
अनुभाग – नागपुर-जबलपुर						
अनुसूची						
राज्य : महाराष्ट्र						
जिला	तालुका	गांव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
				हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5		
नागपूर	हिंगणा	शिवमडका	74	00	03	54
			76	00	27	41
			36/B	00	37	70
			53	00	26	46
			59	00	22	39
नागपूर	हिंगणा	किरमीटी	93	00	14	33
नागपूर	हिंगणा	पांजरी	199	00	37	41
			200	00	14	84
			193	00	07	48
			192	00	23	68
नागपूर	हिंगणा	मोढा	142	00	18	36
			152	00	06	28
			151	00	28	01
			150	00	00	01
			154	00	13	91
			157	00	17	83
			158	00	19	47
			164	00	00	02
			163	00	21	65
			159	00	00	13
			160	00	35	87
			131	00	12	92
नागपूर	हिंगणा	हिंगणा	307	00	02	75
			309	00	12	38
			316	00	13	49
			315	00	11	33
			296/A	00	52	22

			290	00	14	53
			289	00	15	12
			282	00	16	13
			284	00	08	86
			285	00	22	12
			171	00	14	32
			167	00	14	25
			166/A	00	01	55
			166/B	00	13	73
			165	00	17	59
नागपूर	हिंगणा	किन्ही (धानोली)	80	00	43	01
			84	00	42	80
			85	00	00	56
			96	00	07	47
			103	00	11	33
			104	00	13	33
			108	00	23	42
			120	00	22	98
			119	00	50	40
			60	00	17	37
			58	00	03	62
			31	00	08	84
			30	00	24	58
			25/A	00	28	04
			24	00	36	65
			22	00	03	57
			19	00	22	21
			21	00	18	19
			4	00	01	43
नागपूर	हिंगणा	धानोली	249	00	24	75
			250	00	01	86
			246	00	10	18
			245	00	18	10
			244	00	12	07
			60	00	01	21
			255	00	08	18
			62	00	15	82
			63	00	26	12

			74	00	18	18
			73	00	29	07
			72	00	00	32
			80	00	21	70
			71	00	08	82
			81	00	12	71
			87	00	06	62
			83	00	13	14
			84	00	18	71
			85	00	00	02
			168	00	00	46
			162	00	35	20
			160	00	01	24
			159	00	32	25
			158	00	01	87
नागपूर	हिंगणा	खैरी (पन्नासे)	69	00	11	18
			70	00	22	25
			84	00	41	29
			86	00	38	98
			85	00	00	04
			90	00	45	22
नागपूर	हिंगणा	सिनका (रिठी)	49	00	08	94
			43	00	30	75
			42	00	29	29
			45	00	01	75
			17	00	25	69
			14	00	44	04
			13	00	16	64
			8	00	05	61
			11	00	62	44
			10	00	06	47

[फा. सं. एल-14014/42 /2022-जीपी-II(ई- 41787)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th September, 2022

S.O. 4639(E).—Whereas by Notification of Government of India, in Ministry of Petroleum & Natural Gas vide S.O.No 1281(E) dated 15.03.2022; issued under sub - section (1) of section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of right of users in land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated 23.03.2022, the Government of India declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying Pipeline for transportation of natural gas through Mumbai – Nagpur – Jharsuguda (Section:- Nagpur - Jabalpur) pipeline in the State of Maharashtra by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered of by the Competent Authority;

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section (6) of the said Act, submitted its report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (1) of section (6) of the said Act, the Government of India hereby declares that the Right of User in the said lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of powers conferred by sub section (4) of the Section (6) of the said Act, Government of India hereby directs the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on the this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

Mumbai-Nagpur-Jharsuguda Natural Gas Pipeline						
Section - Nagpur - Jabalpur						
SCHEDULE						
State : Maharashtra						
District	Taluka	Village	Survey No.	Area		
				Hect.	Are	Sq. Mtr.
1	2	3	4	5		
Nagpur	Hingna	Shivmadka	74	00	03	54
			76	00	27	41
			36/B	00	37	70
			53	00	26	46
			59	00	22	39
Nagpur	Hingna	Kirmiti	93	00	14	33
Nagpur	Hingna	Panjri	199	00	37	41
			200	00	14	84
			193	00	07	48
			192	00	23	68
Nagpur	Hingna	Mondha	142	00	18	36
			152	00	06	28
			151	00	28	01
			150	00	00	01
			154	00	13	91

			157	00	17	83
			158	00	19	47
			164	00	00	02
			163	00	21	65
			159	00	00	13
			160	00	35	87
			131	00	12	92
Nagpur	Hingna	Hingna	307	00	02	75
			309	00	12	38
			316	00	13	49
			315	00	11	33
			296/A	00	52	22
			290	00	14	53
			289	00	15	12
			282	00	16	13
			284	00	08	86
			285	00	22	12
			171	00	14	32
			167	00	14	25
			166/A	00	01	55
			166/B	00	13	73
			165	00	17	59
Nagpur	Hingna	Kinhi (Dhanoli)	80	00	43	01
			84	00	42	80
			85	00	00	56
			96	00	07	47
			103	00	11	33
			104	00	13	33
			108	00	23	42
			120	00	22	98
			119	00	50	40
			60	00	17	37
			58	00	03	62
			31	00	08	84
			30	00	24	58
			25/A	00	28	04
			24	00	36	65
			22	00	03	57
			19	00	22	21
			21	00	18	19
			4	00	01	43
Nagpur	Hingna	Dhanoli	249	00	24	75
			250	00	01	86
			246	00	10	18
			245	00	18	10
			244	00	12	07
			60	00	01	21
			255	00	08	18

			62	00	15	82
			63	00	26	12
			74	00	18	18
			73	00	29	07
			72	00	00	32
			80	00	21	70
			71	00	08	82
			81	00	12	71
			87	00	06	62
			83	00	13	14
			84	00	18	71
			85	00	00	02
			168	00	00	46
			162	00	35	20
			160	00	01	24
			159	00	32	25
			158	00	01	87
Nagpur	Hingna	Khairi (Pannase)	69	00	11	18
			70	00	22	25
			84	00	41	29
			86	00	38	98
			85	00	00	04
			90	00	45	22
Nagpur	Hingna	Sinka (Rithi)	49	00	08	94
			43	00	30	75
			42	00	29	29
			45	00	01	75
			17	00	25	69
			14	00	44	04
			13	00	16	64
			8	00	05	61
			11	00	62	44
			10	00	06	47

[F. No. L-14014/42/2022-GP-II (E-41787)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.